न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

बाबूलाल .... बनाम .... [illegible]

किस्म मुकदमा 223 RTA .... मु. नं० 8/ .... वर्ष २०२१

दिनांक	आज्ञा पत्र	
03.11.2021	अपील मियाद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुये दर्ज रजिस्टर हो। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने उनके द्वारा किसी प्रकार की सहमति प्रदान नहीं की गई थी। इसके उपरांत भी विचारण न्यायालय ने मनमर्जी से सहमति अंकित कर प्राथमिक डिक्री जारी की है। अपीलांट को विचारण न्यायालय में साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं हुआ है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के जवाब व काउंटर क्लैम को रिकार्ड पर लिये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। अतः स्थगन स्वीकार किया जावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली में अंकित अहलमद की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा वाद संख्या 154 / 2018 में पारित अंतिम डिक्री की अपील इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29.10.2021 को निर्णित की जा चुकी है। प्रस्तुत अपील वाद संख्या 154 / 2018 में पारित प्राथमिक डिक्री के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। विधि अनुसार अंतिम डिक्री की अपील इस न्यायालय के द्वारा निर्णित किये जाने के उपरांत प्राथमिक डिक्री की अपील पोषणीय नहीं मानी जा सकती है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	